सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा 06 बोरी खाद को बरामद कर अन्तर्गत धारा-11 कस्टम अधिनियम में कस्टम कार्यालय खुनुवां भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व सुजीत राय क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में बिन्देश्वरी मणि त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक शोहतगढ़ के नेतृत्व में आज दिनांक 12.06.2025 को अपराध एवं अपराधियों व रोकथाम तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा 06 बोरी खाद चेकिंग के दौरान बरामद किया गया, तस्कर सामान छोड़कर नेपाल की तरफ भाग गये। बरामद खाद को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु कस्टम कार्यालय खुनुवां भेजा गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक -12.06.2025 परिक्षेत्रीय कार्यालय जनपद बस्ती।

◆डीआईजी बस्ती द्वारा पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर सभागार में समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों के साथ की गयी अपराध गोष्ठी।

◆ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिद्धार्थनगर को लगाये कड़ी फटकार।

◆संबंधित को दिये आवश्यक दिशा- निर्देश।

आज दिनांक 12.06.2025 को श्री संजीव त्यागी, पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती द्वारा डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के साथ पुलिस लाइन सभागार सिद्धार्थनगर में समस्त क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारीगण के साथ अपराध गोष्ठी की गयी। गोष्ठी के प्रारंभ में सभी थाना प्रभारियों से परिचय प्राप्त कर उनके थाना क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। डीआईजी बस्ती द्वारा बताया गया कि थाने में आने वाले आगंतुक/ पीड़ित/फरियादियों से सहानुभूति व सम्मान पूर्वक व्यवहार करने तथा उनकी समस्या/शिकायत को सुनकर यथाशीघ्र विधिक निस्तारण किया जाये। शासन की मंशानुसार कार्य किया जाये। जनसुनवाई पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण हो। आईजीआरएस के प्रकरणों में व्यक्तिगत रुप से थाना प्रभारी द्वारा विशेष ध्यान रखा जाये। ग्रामों में जाकर अपराध व अपराधियों के संबंध में जानकारी किया जाये। सीएम डैशबोर्ड के सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे रैंकिंग अच्छी हो। सीएम डैशबोर्ड के मानिटरिंग के बिंदुओ क संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिद्धार्थनगगर को जानकारी न होने पर कड़ी फटकार लगायी गयी। पुलिस अधीक्षक को उक्त के संबंध में कार्यशाला आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया। गोकशी के प्रकरणों में कठोर कार्यवाही करने, नेपाल सीमा पर सतर्क दृष्टि रखने जिससे कोई अवैध गतिविधि न होने पाये तथा आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल सम्पन्न कराने, बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु पूर्व से ही बिशेष योजना बनाने, गुमशुदा बच्चियों के संबंध में विशेष कार्ययोजना (एसओपी) बनाकर वरामदगी/कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को लापरवाह थाना प्रभारियों/थानाध्यक्षों पर कार्यवाही करने हेतु बताया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी, पुलिस कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के संबंधित सभी प्रभारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती दिनांक 12.06.2025

■डीआईजी बस्ती द्वारा थाना कपिलवस्तु का किया गया भ्रमण

■डीआईजी बस्ती द्वारा आपरेशन कवच के तहत ग्रामों में गठित "ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ की गयी गोष्ठी।

■अलीगढ़वा व ककरहवा भारत-नेपाल बॉर्डर का किया गया भ्रमण।

■ प्रभारी निरीक्षक कपिलवस्तु को लगाये कड़ी फटकार।

■संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 12.06.2025 को श्री संजीव त्यागी पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के साथ थाना कपिलवस्तु का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान थाना कार्यालय,सीसीटीएनएस कार्यालय,थाने के अभिलेखों, बन्दीगृह, थाना परिसर आदि का निरीक्षण कर प्रतिदिन थाना परिसर,शौचालय, कार्यालय आदि की साफ सफाई कराने,थाने के रजिस्टरो मे सभी प्रविष्टियों को अद्यावधिक करने आदि हेतु निर्देशित किया गया। अपराध की पूर्ण जानकारी न होने तथा आईजीआरएस के प्रकरणो में गुणवक्तापूर्ण निस्तारण न होने पर एसएचओ कपिलवस्तु को डीआईजी बस्ती द्वारा कड़ी फटकार लगायी गयी।

तत्पश्चात शासन की मंशा के अनुरूप "आपरेशन कवच" के तहत भारत- नेपाल सीमा क्षेत्र से 10 किलोमीटर के अन्दर आने वाले ग्रामीणों को सीमा सुरक्षा से जोड़ने हेतु ग्रामों में गठित "ग्राम सुरक्षा समिति" के अध्यक्ष/सचिव/ सदस्यों के साथ थाना कपिलवस्तु पर गोष्ठी कर उनके कर्तव्यों व दायित्वों का बोध कराकर जागरूक किया गया जिन्हें नव धनाढ्य/संदिग्ध/देश-विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों आदि के संबंध में जानकारी देने तथा ग्राम के अन्य लोगों को भी जागरुक करने हेतु बताया गया।

तत्पश्चात डीआईजी बस्ती द्वारा अलीगढ़वा व ककरहवा भारत-नेपाल बॉर्डर पर पहुंचकर पुलिस,एसएसबी,कस्टम, स्थानीय अभिसूचना इकाई आदि के अधिकारी व कर्मचारीगण के साथ फूट पेट्रोलिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर,निरीक्षक एलआईयू,एसएसबी,कस्टम,पुलिस के अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहें।

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के आरोपी को 01 वर्ष 09 माह के कारावास व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 12-06-2025 को ST.N 31023/2023 मु0अ0सं0 147/2023 धारा 379,411 भा0द0वि0 मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त रमेश मौर्या पुत्र स्व0 विश्वनाथ मौर्या निवासी उनवल बाजार थाना खजनी जनपद गोरखपुर को 01 वर्ष 09 माह के कारावास व ₹2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी दुर्गेश गुप्ता थाना सिद्धार्थनगर का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनाँक 12.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में अनुज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर मय टीम द्वारा मु0अ0सं0 49/2025 धारा 137(2), 87, 61(2), 351(3) BNS व 16/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण नदीम व आरिफ को आज दिनांक 12.06.2025 को पुरानी नौगढ बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.नदीम पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ पेन्टर साकिन वर्डपुर नं014 टोला खुशराजपुर गंगवल थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

2.आरिफ पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ पेन्टर साकिन वर्डपुर नं014 टोला खुशराजपुर गंगवल थाना व जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. अनुज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना व जिला सिद्धार्थनगर
2.उ0नि0 अशोक कुमार थाना व जिला सिद्धार्थनगर
3.HC धर्मेन्द्र मौर्या थाना व जिला सिद्धार्थनगर
4.का0 हरेन्द्र यादव थाना व जिला सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 12.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

◆आमजन से संवाद स्थापित कर लोगों से आपस में सौहार्द बनाये रखने की अपील की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 12.06.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व आपस में सौहार्द बनाये रखने तथा अफवाहो से बचने की अपील की गयी।